झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
सप्तदश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 29.07.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	**प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0 श्री दिनेश विलियम मरांडी स0वि0स0**	पाकुड़ जिलान्तर्गत 06, महेशपुर विधान सभा के अन्तर्गत आनेवाले दोनों प्रखण्ड क्रमशः महेशपुर एवं पाकुड़िया अन्य राज्य पश्चिम बंगाल का सीमावर्त्ती क्षेत्र है। उक्त दोनों प्रखण्डों का पश्चिम बंगाल का सीमावर्त्ती क्षेत्र होने के कारण विधि व्यवस्था को मुस्तैदी पूर्वक चुस्त–दुरूस्त रखने की नितांत आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इतना ही नहीं उक्त वर्णित दोनों प्रखण्डों के अलावे अमरापाड़ा प्रखण्ड के अधिकांश भू–भाग के वासितों के समक्ष भी जानमाल की सुरक्षा हेतु उचित विधि व्यवस्था की अति आवश्यकता है। अतएव महेशपुर, पाकुड़िया एवं अमरापाड़ा प्रखण्डों की चुनौती पूर्ण विधि व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु महेशपुर को अनुमंडल बनाते हुए वहाँ अनुमंडल कार्यालय की स्थापना करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**
02–	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स0वि0स0**	गढ़वा जिला के रमुना से मझिआंव के बीच सड़क एवं पुलिया का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा एक फरार–	**पथ निर्माण**

01.	02.	03.	04.
		घोषित अपराधी के नाम पर आवंटित कर कार्य कराया जा रहा है, तथा भुगतान भी कराया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग को जाँच एवं भुगतान पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। सरकार द्वारा मोनिटीरिंग के कार्यपालक अभियंता श्री वार्मा द्वारा जाँच कर सड़क के गुणवत्ता पर प्रतिवेदन दिया गया था तथा पुल निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया गया था एवं भुगतान राशि का रिकबभरी हेतु प्रतिवेदन दिया गया था परन्तु सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा वर्त्तमान में घटिया किस्म का सामाग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभिकर्त्ता सेठ कुमार ग्राम सीरहा थाना उटांरी रोड जिला पलामू के केस संख्या-355/12 जी0आर0-1484/12 में फरार घोषित किया गया है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उक्त सड़क का जाँच करा कर कार्य को गुणवत्ता पूर्ण किया जाए तथा भुगतान को रोका जाए एवं नाजायज ढंग से फरार व्यक्ति को संवेदक बनाया गया है उस पर कार्रवाई की जाए।	
03-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	मॉनसून के बेरूखी से झारखण्ड में अब तक मात्र 10% धनरोपनी ही हो पायी है। 18 लाख हेक्टेयर धनरोपनी लक्ष्य के विरूद्ध में मात्र 1.8 लाख हेक्टेयर 25 जुलाई 2024 तक हो पाया है। सुखाड़ जैसे हालात उत्पन्न हो गया है। यह 10% धनरोपनी भी किसानों ने अपने पम्पसेट एवं संसाधन आदि से महंगे खर्च कर किया है, जो लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। खासकर संथाल परगना प्रमण्डल के किसान सबसे बुरे हालात से गुजर रहे हैं और यह सुखाड़ का दंश कई वर्षो से किसानों को झेलना पड़ रहा है। इसका मूल-	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		कारण झारखण्ड बनने के 25 वर्ष बाद भी मात्र 20% ही भूमि पर ही हम सिंचाई की सुविधा दे पायें है। शत–प्रतिशत खेती योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा हो अब तक कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह होगा कि सुखाड़ के हालात से निपटने के लिए युद्धस्तर पर व्यवस्था करे एवं स्थायी समाधान हेतु 100% सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, एक रोड मैप तैयार करे इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04–	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्रीमती सविता महतो स0वि0स0	धनबाद जिला के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज सहित जिला के कई सरकारी अस्पतालों में टी0वी0 जैसे गंभीर बीमारी का दवाई लगभग 6 माह से नहीं मिलने के कारण मरीजों को जिला के निजी अस्पताल या राज्य के बाहर जाकर अपना ईलाज कराना पड़ रहा है, जिससे गरीब वर्ग के मरीजों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा दवाई के अभाव में कई मरीजों का निधन हो गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनहित में धनबाद जिला के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज सहित जिला के सभी सरकारी अस्पतालों में टी0वी0 रोग की दवाई उपलब्ध कराया जाय।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
05–	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	बोकारो जिला अन्तर्गत बेरमो अनुमंडल झारखण्ड राज्य का सबसे पुराना अनुमंडल है। 06 दिसम्बर–1972 में गिरिडीह जिला से अलग होकर अस्तित्व में आया बेरमों अनुमंडल हर दृष्टिकोण से जिला बनने की पूरी अहर्ता रखता है। इसमे कुल प्रखंडों की संख्या–7 कुल थानों की संख्या–16 तथा 04 ओ0पी0 है। इसकी कुल जनसंख्या–2011 के अनुसार लगभग–	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0–

01.	02.	03.	04.
		11 लाख, 08 हजार 735 हैं तथा वर्त्तमान में इसमें 15 लाख से अधिक जनसंख्या है। यहाँ अनुमंडल व्यवहार न्यायालय की कार्यरत हैं स्मरणीय है कि इससे कम जनसंख्या तथा कम प्रखण्ड वाले 6 अनुमंडल मुख्यालयों को जिला में परिणत किया जा चुका है। इसी तरह जैनामोड़ को अनुमंडल तथा खैराचातर, महुआटांड एवं चतरोचट्टी भी प्रखण्ड बनने हेतु पूरी अर्हता रखता है। विगत कई वर्षो से यहाँ के लाखों लोग लगातार इसकी मांग कर रहे है। अतः मैं सरकार से सदन के माध्यम से जनहित में बेरमों को जिला जैनामोड़ को अनुमंडल एवं खैराचातर, महुआटांड तथा चतरोचट्टी को प्रखंड बनाने की मांग करता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 29 जुलाई, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-30/2024-3342/वि0 स0, राँची, दिनांक- 27/07/24

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/07/2024
(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-30/2024-3342/वि0 स0, राँची, दिनांक- 27/07/24,

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

27/07/2024
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

27/07/24